भारतीय रिजर्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
जम्मू

सूची में नाम शमिल करने हेतु अनुरोध
भारतीय रिजर्व बैंक के जम्मू स्थित कार्यालय के दवाखानों में ड्रग्स और दवाओं की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/स्टाकिस्टों/केमिस्टों का पैनल बनाना"

I. सूचीबद्ध होने के लिए पात्रता:

(क) केमिस्ट के पास औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 अथवा यथालागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत, राज्य के औषध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा एलोपैथिक दवाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए विनिर्दिष्ट फॉर्मों (फॉर्म 20, 20-बी, 21, 21-बी और 21-सी) में जारी किए गए लाइसेंस होने चाहिए जो आवेदन की तारीख पर वैध हों। उनके पास दवाओं की बिक्री/ व्यापार के लिए आवश्यक अन्य लाइसेंस, मंजूरी और अनुमति भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सूचीबद्ध केमिस्ट को यह भी सुनिश्चित करना होगा और वचन देना होगा कि संविदा की अवधि समाप्त होने तक उसके पास ये लाइसेंस वैध रूप में उपलब्ध रहेंगे।

(ख) केमिस्ट को राज्य औषध प्राधिकरण द्वारा कभी दोषी न ठहराया गया हो और उसके विरुद्ध औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के तहत कोई मामला लंबित न हो।

(ग) केमिस्ट का पिछले तीन वर्षों में कुल न्यूनतम कारोबार ₹7.00-8.00 लाख होना चाहिए (अनुबंध-II में निर्दिष्ट)।

(घ) केमिस्ट के पास इसी प्रकार का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए अर्थात सरकारी /अर्ध-सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ प्रतिष्ठित ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पतालों में से कम से कम एक में दवाओं की आपूर्ति हेतु बनाए गए पैनल में पिछले दो वर्षों में उसका नाम सूचीबद्ध किया गया हो।

(ङ) केमिस्ट को बैंक द्वारा मांग (इंडेंट) की गयी **सभी प्रकार की दवाओं** और चिकित्सा में खर्च होनेवाली सामग्री की आपूर्ति करनी होगी, चाहे वह जिस ब्रांड या निर्माता की हों। इस दस्तावेज में अन्यत्र वर्णित क्रय संविदा पर हस्ताक्षर करने के बाद आपूर्ति कर पाने में असफल रहने पर कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (Performance Bank Guarantee) जब्त कर ली जाएगी।

(च) केमिस्ट का नाम किसी भी सरकारी/ अर्ध-सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की प्रतिबंधित/ काली-सूची में शामिल नहीं हुआ होना चाहिए।

(छ) केमिस्ट की दुकान/ व्यवसाय का स्थान जम्मू शहर/ उसके आस-पास होना चाहिए।

(ज) केमिस्ट के पास GST क्लियरेंस का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

(झ) केमिस्ट के पास कम्प्यूटर से बिल बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

II. नियम और शर्तें:

सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया के उपलक्ष्य में प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा बैंक द्वारा की जाएगी तथा जो केमिस्ट दस्तावेज़ में वर्णित पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे, उनको RFQ (Request for Quotation) जारी किया जाएगा। पात्र केमिस्टों को अपनी बोली के साथ बयाने (Earnest Money Deposit) के तौर पर निविदा राशि की 2 प्रतिशत (2%) रकम भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Scheduled Commercial Bank) पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट / NEFT के माध्यम से जमा करनी होगी। ईएमडी के बिना बोलियों को वैध न मानते हुए अस्वीकार कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी सफल बोलीदाता को वार्षिक ठेका देने के 15 दिनों के भीतर लौटा दी जाएगी। जो बोलीदाता अपनी प्रतिबद्धता/ कोटेशन का सम्मान नहीं करेंगे उनकी बयाने की राशि क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू, बिना कोई कारण बताए, अपने विवेक अनुसार जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

सफल बोलीदाताओं के मामले में बयाने की राशि, कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (Performance Bank Guarantee) की प्राप्ति के बाद जल्द ही वापस कर दी जाएगी।

1. कार्य का दायरा :

बैंक मोटे तौर पर अनुमानित आवश्यकता के अनुरूप दवाओं, आदि की एक सांकेतिक सूची तैयार करके, उसके आधार पर वर्ष में एक बार अपने पैनल के केमिस्टों को दवाओं की आपूर्ति के लिए 'कोटेशन हेतु अनुरोध'(आर एफ क्यू) जारी करेगा। यह कोटेशन हेतु अनुरोध'(आर एफ क्यू) केवल MSTC पोर्टल (ऑनलाइन) पर मंगाई जाएगी। पैनल के केमिस्टों को MSTC पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। बैंक एक या अधिक ऐसे केमिस्टों के साथ क्रय संविदा करेगा जो अधिकतम समान छूट प्रदान करेंगे। बैंक द्वारा वर्ष के दौरान समय-समय पर जारी किए गए मांगपत्रों के आधार पर केमिस्टों को करार में उल्लिखित छूट प्रदान करते हुए ड्रग/ दवाओं की आपूर्ति निर्धारित समय और निर्दिष्ट स्थान पर करनी होगी। कृपया यह नोट किया जाए कि बैंक केवल उसी केमिस्ट से दवा खरीदने को बाध्य नहीं होगा जो अधिकतम छूट दे रहा हो। बैंक को यह भी अधिकार होगा कि वह दवाओं की खरीद दो या अधिक केमिस्टों से कर सके। बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार कर दे।

2. मूल्य निर्धारण :

केमिस्ट से यह अपेक्षित है कि वह बैंक के "कोटेशन हेतु अनुरोध" (RFQ) के उत्तर में संविदा के अंतर्गत आपूर्ति की जाने वाली सभी मदों के संबंध में, चाहे उनका ब्रांड और निर्माता जो भी हो, स्ट्रिप/बोतल/यूनिट पैक पर मुद्रित खुदरा मूल्य पर एकसमान छूट दर उद्धृत (quote) करें। यह नोट किया जाए कि कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार के शुल्क, लेवी, कर आदि के भुगतान का दायित्व केमिस्ट का होगा। दवाओं की विधिवत पैकेजिंग, ढुलाई और बैंक द्वारा बताए गए किसी भी स्थान तक उसके परिवहन, आदि से संबंधित सभी खर्च केमिस्ट को वहन करने होंगे। बैंक लेबल पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य से सहमत एकसमान छूट दर की राशि घटाने के बाद बची राशि का ही भुगतान करेगा। उद्धृत छूट की दरें संविदा की सम्पूर्ण अवधि के लिए वैध रहेंगी।

3. कार्यनिष्पादन सुरक्षा गारंटी (Performance Bank Guarantee):

उपर्युक्त निर्दिष्ट वार्षिक खरीद संविदा किये जाने की स्थिति में केमिस्ट को निविदा राशि की 10 प्रतिशत (10%) रकम जोंकि ₹ 1,50,000/-(रूपये एक लाख पचास हज़ार मात्र) कार्यनिष्पादन सुरक्षा गारंटी के तौर पर (देखें

अनुबंध-II) देनी होगी। यह 18 माह की अवधि के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी वैध बैंक गारंटी हो सकती है या "भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू" के पक्ष में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर आहरित डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भी दी जा सकती है। बैंक, कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी पर कोई ब्याज अदा नहीं करेगा।

यह कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी इस संविदा की वैधता अवधि के बाद भी छह माह तक वैध होनी चाहिए।इस संविदा के तहत दिए गए मांग-पत्र के अनुसार गुणवत्तापूर्ण दवा आपूर्ति न किये जाने अथवा आपूर्ति की गई दवा चोरी की होने की बात जानकारी में आने पर कार्यनिष्पादन सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी। कार्यनिष्पादन सुरक्षा राशि निम्नलिखित परिस्थितियों में जब्त कर ली जाएगी, यदि प्राधिकृत केमिस्ट

i) संविदा की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, अथवा

ii) घटिया, नकली अथवा एवजी (सब्स्टीट्यूट) दवा आपूर्ति करता है, या

iii) आपूर्ति में विलम्ब करता है, या

iv) निर्धारित कीमत से अधिक कीमत वसूलता है।

4. पैनल की अवधि:

क) सूचीबद्धता की अवधि **तीन वर्ष** होगी, बशर्ते पैनल में शामिल केमिस्टों का काम संतोषजनक हो।

ख) वार्षिक खरीद संविदा के संबंध में आपूर्ति आदेश संविदा की आखिरी तारीख तक दिये जा सकेंगे। संविदा की समाप्ति की तारीख को भी मिले आदेश का पालन करना होगा भले ही आपूर्ति की तारीख संविदा की अवधि के बाद हो।

5. पैनल में नाम शामिल करने हेतु पात्रता संबंधी दस्तावेज:

पैनल में नाम शामिल करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं :-

क) आवेदन की तारीख को केमिस्ट के पास मौजूद वैध लाइसेंसों की स्वप्रमाणित प्रतियां।

ख) राज्य औषध नियंत्रक द्वारा जारी 'दोषी न होने संबंधी प्रमाण-पत्र' की प्रति जिसमें यह उल्लेख हो कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके तहत बने नियमों तथा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के तहत नियमों और इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के तहत फर्म के विरुद्ध कोई मामला लंबित नहीं है। उपर्युक्त के एवज में इस आशय का शपथ पत्र स्वीकार्य है।

ग) सनदी लेखाकार (चार्टेड अकाउटेंट) द्वारा विधिवत् सत्यापित विगत तीन वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित बैलेंस शीट की प्रतियां।

घ) अनुबंध III में दिये गये फार्मेट के अनुसार उपरोक्त पैरा-I(घ) (सूचीबद्ध होने के लिए पात्रता) में निर्दिष्ट किसी एक ग्राहक से प्राप्त ग्राहक रिपोर्ट।

ङ) अनुबंध IV में दिये गये फार्मेट के अनुसार केमिस्ट के बैंकर द्वारा जारी बैंकर प्रमाण-पत्र।

च) GST पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।

छ) केमिस्ट को आबंटित पैन (PAN) कार्ड की प्रति।

ज) पिछले दो वर्षों में संगठन के साथ समान व्यवसाय व्यवस्था और व्यवसाय की मात्रा का प्रमाण।

झ) उस संगठन के पास जमा सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि रु..... (यदि लागू हो) (उक्त पैरा 5 ज में निर्दिष्ट)

6. आवेदन प्रक्रिया:-

इस दस्तावेज के सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित व मुहर लगे होने चाहिए और पूरी तरह से विधिवत् भरे आवेदन पत्र के साथ सभी निर्दिष्ट दस्तावेज लगे होने चाहिये। पात्र केमिस्ट अपने आवेदन बंद और मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें जिस पर **"भारतीय रिजर्व बैंक के जम्मू स्थित कार्यालय के औषधालयों में ड्रग्स/दवाओं की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/स्टाकिस्टों/ केमिस्टों का पैनल तैयार करना"** लिखा हो और इसके साथ 'पैनल में नाम जोड़ने हेतु अनुरोध' (RFE) की मद सं. 5 के तहत निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियां भी लगी हों। आवेदन पत्र क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, पहली मंजिल, रेल हैड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012 को भेजा जाए।

यह सुनिश्चित करने का दायित्व केमिस्ट का होगा कि उसका आवेदन पत्र नियत तिथि और समय पर या उससे पहले जमा हो जाये। यदि डाक में देरी या मार्ग में देरी के कारण निर्धारित तिथि और समय पर आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। आरएफई दस्तावेज की तैयारी पर होने वाले सभी खर्चे आवेदक द्वारा वहन किये जाएंगे।

7. किसी या सभी आवेदन पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार:

नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त या किसी भी तरह से अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। बैंक बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी आवेदन पत्रों को पूर्णत: या अंशत: स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। बैंक के पास यह अधिकार भी होगा कि वह किसी भी समय इस पैनल को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकेगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होगा। क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू को अधिकार है कि वह बैंक हित को ध्यान में रखते हुये अपने विवेक से आवश्यकतानुसार इस दस्तावेज की किसी भी मद में सुधार/बदलाव कर सकते/ती हैं। इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8. स्वीकृति की अधिसूचना:

बैंक पत्र द्वारा आवेदन स्वीकार करने की सूचना देगा (स्वीकार्य होने की स्थिति में)

9. आपूर्ति के लिए माँगपत्र तथा वितरण-व्यवस्था:

क) बैंक से आपूर्ति का मांगपत्र प्राप्त होने पर, सामग्री की सुपुर्दगी मांगपत्र में उल्लिखित बैंक औषधालय परिसर में औषधालय के कार्य-समय में, तीन कार्य दिवसों के भीतर यथाशीघ्र की जायेगी।

ख) यदि मांगपत्र में किसी विशिष्ट ब्राण्ड की दवा/सामग्री की मांग की गयी है तो उसके बदले किसी अन्य ब्राण्ड की दवा/सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी। अन्य मामलों में केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रक संगठन की 'एम' अनुसूची में दी गई विनिर्दिष्टियों की पुष्टि करने वाली औषधियों की ही आपूर्ति की जायेगी।

ग) आपूर्ति उत्पादक द्वारा ही की गयी पैकिंग में करनी आवश्यक है। किसी विशेष औषधि/ड्रग की पैकिंग मांगपत्र की कुल मात्रा के आसपास होनी चाहिए।

घ) आपूर्ति के समय औषधियों की आधी से ज्यादा शेल्फ लाइफ शेष रहनी चाहिए जो कि दवा के लेबल पर लिखी होती है ।

ङ) संबंधित औषधालय को औषधियों की आपूर्ति करते समय केमिस्ट मांगपत्र में बैच नंबर, उत्पादक का नाम, मीयाद(शेल्फ लाइफ) समाप्त होने की तारीख सूचित करनी होगी।

च) 30 दिन का नोटिस दिए बिना केमिस्ट औषधियों की आपूर्ति बंद नहीं कर सकेगा।

10. बिल प्रस्तुतीकरण:

क) आपूर्ति की गई औषधियों का बिल केमिस्ट बैंक के जम्मू कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। उसे बिल में आपूर्ति की गई औषधियों का पूरा विवरण जैसे मद का नाम, मात्रा, दर, सहमत एकसमान छूट की दर/ राशि, उत्पादक का नाम, बैच नंबर, उत्पादन की तारीख और मीयाद समाप्ति की तारीख, मांगपत्र की संख्या एवं तारीख आदि तथा बैंक द्वारा मांगी गई कोई अन्य सूचना का उल्लेख करना होगा।

ख) बिल के साथ मूल मांगपत्र और मांगी गई सामाग्री की प्राप्ति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो बैंक औषधालय के प्रभारी द्वारा तारीख और मुहर के सहित हस्ताक्षरित हो।

ग) आधे-अधूरे और उपर्युक्त (क) और (ख) में वर्णित दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत बिल स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

11. भुगतान:

प्रस्तुत बिल का भुगतान आम तौर पर बिल प्रस्तुत करने की तारीख से 10 दिनों के भीतर किया जाएगा। तथापि, केमिस्ट किसी कारणवश भुगतान में देरी के लिए किसी प्रकार के ब्याज या नुकसान के संबंध में बैंक से कोई दावा नहीं कर सकेगा। यह भुगतान केमिस्ट को एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए उसे अपने बैंक शाखा का पता, खाते का नाम, खाता संख्या जैसी अपेक्षित जानकारी देनी होगी।

12. भ्रष्ट, धोखाधड़ीपूर्ण या अनैतिक आचरण:

बैंक यह अपेक्षा करता है कि केमिस्ट दवाओं की आपूर्ति के लिए खरीद और संविदा निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करेंगे। आपूर्ति की जानेवाली दवाएं मानक गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। इस संबंध में शर्तें निम्नानुसार निर्दिष्ट की जा रही हैं :-

क) केमिस्ट, पैनल तैयार करने की प्रक्रिया या करार निष्पादन में किसी तरह की पेशकश, लेनदेन या मूल्यवान चीज का कोई प्रस्ताव देकर बैंक के किसी भी अधिकारी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा।

ख) केमिस्ट, पैनल तैयार करने की प्रक्रिया या करार निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों की गलत बयानी का सहारा नहीं लेगा जिससे कि बैंक के हितों को कोई नुकसान हो।

ग) यदि किसी भी समय बैंक को यह लगा कि केमिस्ट करार निष्पादन में भ्रष्ट आचरण और धोखाधड़ी में लिप्त है तो बैंक उसे अनिश्चित काल के लिए या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए संविदा प्रदान करने हेतु अयोग्य घोषित कर देगा।

घ) बैंक, करार की अवधि के दौरान करार के उल्लंघन हेतु किसी अन्य उपाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने विवेकाधिकार से, निम्न में से किसी भी कारण के लिए, किसी भी केमिस्ट का पूरा अथवा आंशिक करार समाप्त कर सकता है :-

(i) घटिया/ नकली/ एवज़ी दवाओं की आपूर्ति

(ii) दवाओं की आपूर्ति करने में देरी/ आपूर्ति करने से इनकार/ आपूर्ति न करना

(iii) बिल में ज्यादा दाम लगाना

(iv) यदि आपूर्ति के समय यह पाया जाता है कि आपूर्ति की गई दवा की शेल्फ लाइफ आधे से अधिक समाप्त हो चुकी है

(v) यदि केमिस्ट संविदा के अंतर्गत कोई अन्य दायित्व पूरा नहीं कर पाता है

(vi) बैंक के दृष्टिकोण में केमिस्ट भ्रष्ट आचरण या धोखाधड़ी में लिप्त है।

ङ) भुगतान से पहले या बाद में जांच के दौरान यदि ऊपर (घ) में बताए गये मामलों में से कोई भी मामला पाया जाता है तो केमिस्ट, बैंक द्वारा पहले की जा चुकी अधिक भुगतान/ विवादित राशि वापस करेगा और विवादग्रस्त दवाओं को बदलेगा। बैंक केमिस्ट को देय राशियों की अदायगी रोक सकता है या इस तरह की आपूर्ति की लागत वसूल कर सकता है।

उपरोक्त हालातों में बैंक कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (Performance Bank Guarantee) ज़ब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13. सर्वोत्तम दामों की प्रयोज्यता (Applicability):

यदि कोई केमिस्ट, जिसके साथ बैंक ने वार्षिक खरीद करार किया है, इस संविदा अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति या संगठन को बैंक से ज्यादा छूट प्रदान करता है या बैंक की संविदा के समान मिलती-जुलती शर्तों पर दवाएं बेचता है या बेचने को तैयार होता है, तो बैंक के लिए लागू छूट की दर स्वतः ही इस करार के तहत बाद की सभी आपूर्ति के लिए उस तारीख से बढ़ जाएगी और यह करार तदनुसार संशोधित किया जाएगा। अन्य समानांतर संविदाकारों, यदि कोई हों, को भी कीमत कम करने के लिए मौका दिया जाएगा और कम कीमत उन्हें अधिसूचित की जाएगी तथा यदि वे चाहें तो, उन्हें अपने संशोधित कीमतों को सूचित करने के लिए 14 (चौदह) दिन का समय दिया जाएगा। इसके लिए वे अपनी संशोधित कीमतें मुहरबंद लिफाफे में भेज सकते हैं जिसे सार्वजनिक रूप से निर्दिष्ट तारीख और समय पर खोला जा सकता है और सामान्य प्रथानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

14. क्षतिपूर्ति (Indemnity):

इस संविदा के कार्य के संबंध में अथवा निष्पादन में, केमिस्ट द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले किसी कृत्य के बारे में बैंक के खिलाफ लाई गई या की गई सभी कार्रवाईयों, अदालती मामलों, दावों और मांगों के कारण बैंक को होनेवाले किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति केमिस्ट द्वारा की जाएगी। इस करार के निष्पादन के संबंध में

केमिस्ट द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी कृत्य के कारण उसके विरुद्ध होने वाली किसी भी कार्रवाई या अदालती कार्रवाई के परिणामस्वरूप बैंक को होनेवाले नुकसान की भरपाई केंमिस्ट द्वारा की जाएगी।

15. मध्यस्थता (Arbitration):

यह करार आपसी विश्वास और भरोसे पर आधारित है। दोनों पक्ष यह कार्य पूरे भरोसे से करने के लिए सहमत हैं। यदि बैंक और केमिस्ट के बीच इस संविदा के संबंध में या संविदा की वज़ह से किसी भी तरह का विवाद या मतभेद, चाहे जो हो (जिसके निर्णय की व्यवस्था यहाँ अन्यथा नहीं की गई है), चाहे संविदा अवधि के दौरान या संविदा अवधि पूरी होने पर और चाहे संविदा की समाप्ति, परित्याग या उल्लंघन के बाद, उत्पन्न होता है, तो उसे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू के समक्ष लाया जाएगा और उनकी एकमात्र मध्यस्थता से निपटाया जाएगा, जोकि अपना निर्णय लिखित रूप में बोलीदाता को देंगे। क्षेत्रीय निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

>>>>>>>>>>>>>>>XXX<<<<<<<<<<<<<<<<

अनुबंध –I

भारतीय रिजर्व बैंक
जम्मू
ड्रग्स और दवाओं की आपूर्ति के लिए केमिस्टों के पैनल हेतु आवेदन फार्म

क्र.सं.	मद विवरण	ब्योरे
1.	केमिस्ट का नाम	
2.	संघटन (कंपनी / साझेदारी / स्वामित्व)	
3.	पंजीकरण का विवरण (पंजीकरण प्राधिकारी, पंजीकरण संख्या व दिनांक)	
4.	व्यवसाय प्रारंभ होने का वर्ष	
5.	GST पंजीकरण संख्या	
6.	पैन नंबर	
7.	निर्माता / अधिकृत वितरक / डीलर / एजेंसी	
8.	बैंक के साथ वचनबद्धता हेतु प्रोप्राइटर / साझेदार / निदेशक / प्राधिकृत अधिकारी का नाम पदनाम सहित	
9.	टेलीफोन नं. : मोबाइल नं. : ई-मेल :	
10.	डाक का पता	
11.	क्या केमिस्ट के पास औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत राज्य के औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए एलोपैथिक दवाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन की तारीख को वैध लाइसेंस है? कृपया लाइसेंसों का विवरण दें।	

12.	क्या केमिस्ट को राज्य औषध नियंत्रक द्वारा दोषी ठहराया गया है या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत तथा ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत समय-समय पर जारी किए गए नियमों के अधीन उसके खिलाफ कोई भी मामला लंबित है?		
13.	क्या केमिस्ट के पास GST क्लीयरेंस प्रमाणपत्र उपलब्ध है?		
14.	क्या बिलिंग प्रणाली कंप्यूटरीकृत है?		
15.	सर्वोत्तम मूल्य मानदंड के लिए समिति (देखें पैरा 13)		
16.	दवाओं की थोक आपूर्ति के लिए केमिस्ट के सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के / कॉर्पोरेट ग्राहकों के नाम। इसके अलावा, संपर्क व्यक्ति का नाम और टेलीफोन नंबर भी दें।		
17.	प्रधान बैंकर का नाम और पता और टेलीफोन नंबर		
18.	वित्तीय वर्ष की कुल वार्षिक बिक्री	2017-18	
		2018-19	
		2019-20	

मैंने ड्रग्स और दवाइयों की आपूर्ति के लिए केमिस्टों और ड्रगिस्टों का पैनल तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नोटिस जिसमें पात्रता मानदंड तथा नियम और शर्तें दी गई हैं, को पढ़ और समझ लिया है। ये नियम और शर्तें मुझे पूरी तरह से स्वीकार हैं। मैं यह भी जानता हूं कि बैंक किसी भी आवेदन को स्वीकार करने और किसी भी या सभी आवेदनों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

हस्ताक्षर (अधिकृत और सक्षम व्यक्ति)
नाम :
पदनाम :
दिनांक :

पात्र केमिस्ट अपने आवेदन बंद और मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें जिस पर **"भारतीय रिजर्व बैंक के जम्मू स्थित कार्यालय के औषधालयों में ड्रग्स/दवाओं की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं/स्टाकिस्टों/ केमिस्टों का पैनल तैयार करना"** लिखा हो और इसके साथ 'पैनल में नाम जोड़ने हेतु अनुरोध' (RFE) की मद सं. 5 के तहत निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियां भी लगी हों। आवेदन पत्र क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, पहली मंजिल, रेल हैड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012 को भेजा जाए। किसी जानकारी/प्रशनों के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें / - चिकित्सा अनुभाग, मानव संसाधन प्रबंध विभाग - 191-2474882 / smithamenon@rbi.org.in, rupeshpurohit@rbi.org.in

अनुबंध -II

कार्यनिष्पादन के संबंध में ग्राहक के प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा
(प्रत्येक ग्राहक से अलग प्रति)

ग्राहक का नाम और पता :

श्री / मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण ________________________________ (केमिस्ट का नाम)

1. संक्षिप्त विवरण के साथ कार्य का नाम :
2. करार संख्या और तारीख:
3. करार की राशि (अनुमान भी स्वीकार्य हैं) :
4. कार्य न करने या शर्तें न मानने के लिए लगाए गए दण्डों (राशि दर्शाएं) का विवरण
5. उस प्राधिकारी का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी जिनके अधीन आपूर्ति की गई
   नाम और पदनाम:
   टेलीफोन नंबर:
   ईमेल:
6. केमिस्ट की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ :

   क) तकनीकी दक्षता

   ख) वित्तीय सुदृढ़ता

   ग) समयसीमा का पालन

   घ) काम की गुणवत्ता

   ई) सामान्य व्यवहार

अधोहस्ताक्षरी यह प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम है।

(हस्ताक्षर)

नाम व पदनाम :
संपर्क टेलीफोन संख्या :

प्रतिहस्ताक्षरित

(कार्यालय की मुहर के साथ रिपोर्टिंग अधिकारी का हस्ताक्षर)

अनुबंध-III

बैंकर सर्टिफिकेट

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
रेल हेड कॉम्प्लेक्स
जम्मू-180012

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंकर सर्टिफिकेट

प्रमाणित किया जाता है कि हमारे ज्ञान और जानकारी के अनुसार श्री/मेसर्स .... (नाम और पता) हमारे बैंक के एक सम्माननीय ग्राहक हैं और उन्हें रु. .... (.. रुपये) की सीमा तक किसी भी व्यवहार के लिए ठीक समझा जा सकता है।

यह प्रमाणपत्र बैंक या अधिकारियों पर बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया जाता है।

कृते बैंक
(मुहर के साथ हस्ताक्षर)
दिनांक:

नाम व पदनाम
कृते बैंक

टिप्पणी :

1. बैंकर प्रमाणपत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए और एक लिफाफे में सील बंद कर दिया जाना चाहिए तथा पैनल तैयार करने वाले प्राधिकारी को संबोधित होना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाणपत्र में सभी साझीदारों के नाम शामिल होने चाहिए जिस प्रकार वे वाणिज्यिक बैंक के पास दर्ज हैं।